

संख्या- 7/2017/वे0आ0-1-666/दस-2017-36(एम)/08

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
- (3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, ४वाँ तल, इन्द्रा भवन, लखनऊ।
- (6) समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
- (7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

विषय- राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2016-2017 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित: निम्नलिखित -

- (1) शासनादेश संख्या-7/2016/वे0आ0-1-940/दस-2016-36(एम)/08, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016
- (2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय जापन संख्या-74/2014/ई-III(ए) दिनांक 19 सितम्बर, 2017

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा सज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2015-2016 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-(2) पर उल्लिखित कार्यालय जाप दिनांक 19 सितम्बर, 2017 द्वारा वर्ष 2016-2017 के लिए 30 दिन की परिलिखियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3- उपर्युक्त क्रम संख्या-(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepa.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित पद अधिकतम वेतन मैट्रिक्स में लेबल-8 (रु0 47600-151100) (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम ग्रेड वेतन रु0 5400/- से कम है) में है, को वर्ष 2016-2017 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स में लेबल-8 (रु0 47600-151100) तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम ग्रेड वेतन रु0 5400/- से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें उपरोक्त उच्च वेतन मैट्रिक्स, समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोनन्यन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्तिति (स्टेटस) में परिवर्तन न हुआ हो को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा।
- (2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2017 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
- (3) तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या-30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2017 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियों आगणित की जायेगी।
- (4) दिनांक 31 मार्च, 2017 को वास्तविक औसत परिलब्धियों रु0 7000/- से ज्यादा होने की स्थिति में रु0 7000/- की परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31 मार्च, 2017 को 30 दिन की परिलब्धियों ($\text{रु0 } 7000 \times 30/30.4 = 6907.89$) अर्थात् 6908/- तदर्थ बोनस के रूप में अनुमन्य होगी।
- (5) ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम तदर्थ बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2016-2017 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न होगा।
- (6) किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
- (7) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपया में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2017 को 03 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2017 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) 03 वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियाँ ₹0 1200/- प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि ₹0 $1200 \times 30 / 30.4 = 1184.21$ अर्थात् 1184/- पूर्णकित होगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ ₹0 1200/- प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

5. सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सटिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगी अथवा पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (पी०पी०एफ०) में जमा किया जायेगा, जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2017 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

6. बोनस के भुगतान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे०आ०-१-१२०दस-१(एम)८४, दिनांक १८ जनवरी, १९८४ के प्रस्तर-१ (७), ५ तथा ६ में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

7. उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

मुकेश मित्तल
सचिव।

संख्या- ७/२०१७/वे०आ०-१-६६६(१)/दस-२०१७, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-१ एवं २ तथा (आडिट)-१ एवं २ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिवसचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) समस्त कोषाधिकारी मुख्य कोषाधिकारी, ३०प्र० वेतन एवं लेखाधिकारी, य०पी० भवन, नई दिल्ली।
- (4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं०-२६१, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-११०००१.
- (5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
- (6) प्रमुख सचिव, विधान सभा विधान परिषद्, ३०प्र० लखनऊ।
- (7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-६/१, वित्त (सामान्य) अनुभाग-१/२, चिकित्सा अनुभाग-२, नगर विकास अनुभाग-१/३, कृषि अनुभाग-८, पंचायती राज अनुभाग-१/३, आवास अनुभाग-२ तथा सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-१
- (9) शिक्षा अनुभाग-३, ५, ६, ८, ११, १३ तथा १५, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-१/२ तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-२ (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- (10) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
- (11) रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
- (12) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- (13) निदेशक, पंचायती राज (लेखा), ३०प्र० (९० अतिरिक्त प्रतियों सहित, जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला परिषद्, ३०प्र० को भेजी जायेंगी)।
- (14) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (15) प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- (16) महालेखाकार, उत्तरांखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

के०एल० वर्मा
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepot.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।